

निविदा - विद्यापिठ

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय जोबट जिला-अलीराजपुर म0प्र0
 क्रमांक 382/2019 जोबट,दिनांक 29-11-2019

// निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनान्तर्गत भाव पत्र आमंत्रण //

महाविद्यालय में सत्र 2019-2020 हेतु शासन से अनुसूचित जाति/जनजातिके विद्यार्थियों के निः शुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनान्तर्गत रूपये 500/-की स्टेशनरी के सेट क्रय हेतु भाव पत्र आमंत्रित किये जाते है । भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य तथा निर्धारित फार्मेट में ही होना चाहिये । अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्रों पर विचार में नही लिया जावेगा तथा तुलनात्मक विवरण में शामिल नही किया जावेगा । भाव पत्रों पर निम्न विवरण के साथ विभाग के वेबसाईट के प्रकाशन के 10 दिवस में महाविद्यालय में स्वयं/कोरियर/स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है । निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नही किया जावेगा ।

निर्धारित फार्मेट- निःशुल्क स्टेशनरी क्रय हेतु संभावित क्रय सामग्रीयों की सूची-


क्रमांक	स्टेशनरी सामग्री का नाम	दर प्रति/नग/दर्जन	GST दर प्रतिशत	GST दर प्रतिशत	सामग्री का कुल मूल्य GST सहित	रिमांक
1	लेकिनेट लॉग कापी 406 पेज					
2	लेकिनेट लॉग कापी 180 पेज					
3	लेकिनेट लॉग कापी 192 पेज					
4	लेकिनेट लॉग कापी 240 पेज					
5	बालपैन सेलो गिपवाली					
6	प्रोजेक्ट फाईल 12 फोल्डर					
7	डोन्स ट्रेसिट					
8	कालेज बेग (कालेज का नाम सहित)					
9	पेसील नटराज					
10	स्टील स्केल					
11	केलकुटर					

शर्तः-

- 1- फर्म का GST में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा भाव पत्र के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 10000/- का डी0डी0/ओनलाइन भुगतान रसीद /खाता क्रमांक 53029274193 IFSC CODE- SBIN 0030048 में किया जा सकता है बिना प्रतिभूति राशि के भाव पत्र मान्य नही किये जावेगे ।
- 2- समय सीमा में प्राप्त भाव पत्र ही मान्य किये जावेगे । भाव पत्र के साथ उक्त सामग्री का नमूना प्रदाय करना होगा ।
- 3- समय सीमा तथा आदेशानुसार सामग्री नही होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा ।
- 4- उपरोक्त दिये गये फार्मेट अनुसार ही भाव पत्र प्रदाय करे ।
- 5- लिफाफे पर स्टेशनरी प्रदाय निविदा 2019-2020 अवश्य अंकित करे ।
- 6- भाव पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करना तथा उपरोक्त के अलावा प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य बंधकारित होगा भुगतान ई-पेमेन्ट से होगा अतः बैंक खाता क्रमांक एवं आय.एफ.सी.कोड बिल पर अंकित होना अनिवार्य है ।
- 7- म0प्र0 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-14-2012/अ-11 दिनांक 28-7-2015 द्वारा भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम-2015 के तहत स्टेशनरी आदेश प्रदाय किये जावेगे ।
- 8- सामग्री का चयन गुणवत्ता/दर आदि के मापदंडों के आधार पर क्रय समिति द्वारा किया जावेगा जिसमें क्रय समिति एवं प्राचार्य का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

प्रति,

आयुक्त,
 उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन भोपाल
 विषय :- विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित हेतु निवेदन ।


 (डॉ. सखाराम भुरिया)
PRINCIPAL
 Govt. College Jobat
 Dist.- Alirajpur (M P)